



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032023-244819
CG-MH-E-31032023-244819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1475]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1475]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2023

का.आ. 1530(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, २००८, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में कलोल कड़ी कटोसन रोड आमान परिवर्तन परियोजना (37.23 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	तालुका	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी, कलोल	कलोल	गांधीनगर
2	प्रांत अधिकारी, कड़ी	कड़ी	महेसाणा
3	प्रांत अधिकारी, विरमगाम	विरमगाम	अहमदाबाद

[फा. सं. ई आफिस E-335138-1]

नन्द राम, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th March, 2023

S.O. 1530(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Gauge Conversion of Kalol Kadi Katosan Road (37.23 Km.) in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer, Kalol	Kalol	Gandhinagar
2	Prant Officer, Kadi	Kadi	Mahesana
3	Prant Officer, Viramgam	Viramgam	Ahmedabad

[F. No. E-Office E-335138-1]

NAND RAM, Chief Engineer, (Construction)-II